



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388]

No. 388]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2001/श्रावण 5, 1923
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2001/SRAVANA 5, 1923

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(पूंजी बाजार, विदेशी वाणिज्यिक उधार और पेंशन सुधार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 558(अ).—निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 23क के साथ पठित धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

2. निक्षेपागार (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 2000 में नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (ज) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(ज) "पंजीयक" का अर्थ है अपीलीय न्यायाधिकरण के पंजीयक तथा इसमें ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई अधिकारी शामिल है जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;'

[फा. सं. 1/69/एसई/98]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 18 फरवरी, 2000 को प्रकाशित सा.का.नि. 143(अ) दिनांक 18 फरवरी, 2000 के तहत जारी किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(Capital Markets, External Commercial Borrowings and Pension Reforms Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

G.S.R. 558(E). — In exercise of the powers conferred by Section 24 read with Section 23A of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Central Government hereby makes the following amendment to amend the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely :—

2. In the Depositories (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

'(h) "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal and includes an officer of such Appellate Tribunal who is authorised by the Presiding Officer to function as Registrar;

[F.No. 1/69/SE/98]

DR. J. BHAGWATI, Jt Secy

Note: The principal rules were issued under G.S.R. 143(E), dated the 18th February, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th February, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 559 (अ).—केन्द्र सरकार, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 22क के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति संविदा (विनियम) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियमावली, 2000 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

2. प्रतिभूति संविदा (विनियम) (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) नियम, 2000 में नियम 2, उप-नियम (1) के खंड (ज) के लिए निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(ज) "पंजीयक" का अर्थ है अपीलीय न्यायाधिकरण के पंजीयक तथा इसमें ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई अधिकारी शामिल है जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;

[फा. सं. 1/69/एसई/98]

डा. जे. भगवती, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i), में दिनांक 18 फरवरी, 2000 को प्रकाशित सा.का.नि. 144(अ) दिनांक 18 फरवरी, 2000 के तहत जारी किए गए थे तथा तदनंतर दिनांक 8 अगस्त, 2000 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3 उपखंड, (i) दिनांक 8 अगस्त, 2000 में प्रकाशित सा.का.नि. 655(अ) के तहत संशोधित किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

G.S.R. 559(E). — In exercise of the powers conferred by Section 30 read with Section 22A of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Central Government hereby makes the following amendment further to amend the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, namely :—

2. In the Securities Contracts (Regulation) (Appeal to Securities Appellate Tribunal) Rules, 2000, in rule 2, sub-rule (1), for clause (h), the following clause shall be substituted, namely :—

'(h) "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal and includes an officer of such Appellate Tribunal who is authorised by the Presiding Officer to function as Registrar;

[F.No. 1/69/SE/98]

DR. J. BHAGWATI, Jt Secy

Note: The principal rules were issued under G.S.R. 144(E), dated the 18th February, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th February, 2000 and were subsequently amended vide G.S.R. 655(E), dated the 8th August, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 8th August, 2000.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2001

सा.का.नि. 560 (अ).—केन्द्र सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 15न और 1 के साथ पठित धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 2000 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः :—

2. प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (प्रक्रिया) नियमावली, 2000 के नियम 2 के उप-नियम (1) में खंड (झ) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

'(झ) "पंजीयक" का अर्थ है अपीलीय न्यायाधिकरण के पंजीयक तथा इसमें ऐसे अपीलीय न्यायाधिकरण का कोई अधिकारी शामिल जिसे पीठासीन अधिकारी द्वारा पंजीयक के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो ;'

[फा.सं. 1/69/एसई

डा. जे. भगवती, संयुक्त

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में दिनांक 18 फरवरी, 2000 को प्रकाशित सा.का.नि. 142(अ) दिनांक 18 फरवरी, 2000 के तहत जारी किए गए थे।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2001

G.S.R. 560(E). — In exercise of the powers conferred by Section 29 read with Sections 15T and 15U of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendment to amend the Securities Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000, namely:—

2. In the Securities Appellate Tribunal (Procedure) Rules, 2000, in rule 2, in sub-rule (1), for the clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

(i) "Registrar" means the Registrar of the Appellate Tribunal and includes an officer of such Appellate Tribunal who is authorised by the Presiding Officer to function as Registrar;

[F.No. 1/69/SE/98]

DR. J. BHAGWATI, Jt. Secy.

Note: The principal rules were issued under G.S.R. 142(E), dated the 18th February, 2000 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 18th February, 2000.